



छावनी परिषद कार्यालय Office of the Cantonment Board
कनाट रोड Cananugut Road,
देवलाली छावनी - 422401 Deolali Cantonment - 422401
नासिक, महाराष्ट्र Nashik, Maharashtra
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय Govt. of India, Ministry of Defence
फोन : 0253-2491206, फैक्स : 0253-2492599, ईमेल : geodocool-star@nic.in



संख्या:3472/पी.डब्ल्यू/ई8 / 2921

दिनांक : 26 /08/2019

सेवा में,

श्री वीरकुमार आर. जैन और अन्य 03,
तर्फे, धरम पपनेजा,
१७, अदेलकी आर्केड,
देवलाली कैम्प.

विषय: आवासीय भवन हेतु परिशोधित भवन आवेदनपत्र एवं नक्शे की स्वीकृति हेतु।

प्रिय महोदय,

1. संदर्भ: संसरी देवलाली छावनी के रेवेन्यू सर्वे संख्या 221अ/2 पर परिशोधित भवन नक्शा हेतु आपका आवेदन पत्र दिनांक 26.07.2019।
2. संसरी देवलाली छावनी के रेवेन्यू सर्वे संख्या 221अ/2 पर परिशोधित भवन नक्शे को नगरपालिका दृष्टिकोण से मालिकाना हक के पूर्वाग्रह बिना और नियम एवं शर्तों, जिनके अधीन आवेदक के द्वारा स्थल को अधिकार में लिए गया है, के अंतर्गत छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 238 के तहत परिषद ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद देवलाली द्वारा दिनांक 20.08.2019 को स्वीकृत दी गई है। स्वीकृत नक्शे का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 238 के अनुसार, उस तारीख से दो वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगी जिस तारीख को स्वीकृति दी गई है, और यदि उस अवधि के दौरान आपके द्वारा स्वीकृत भवन का कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो उसके बाद कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि आपके द्वारा दिए गए लिखित रूप में आवेदन पर परिषद उस अवधि को बढ़ाने की अनुमति नहीं दे देता है। कार्यालय को लिखित रूप में निर्माण शुरू होने की तारीख की सूचना दी जानी चाहिए, ऐसा न करने की स्थिति में पत्र जारी होने की तारीख को ही निर्माण शुरू होने की तारीख के रूप में माना जाएगा।
3. यह आवेदक / कब्जेदार को भविष्य में छावनी परिषद, देवलाली से किसी भी प्रकार की नागरिक सुविधायें जैसे आवागमन मार्ग, जलापूर्ति, ड्रेनेज आदि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देता है।
4. भवन नक्शे के स्वीकृति के कारण आवेदकों और अन्य पक्षों के बीच / साथ किसी भी प्रकार की कानूनी विवाद उत्पन्न होने पर छावनी परिषद / मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पक्षदार नहीं बनाया जाएगा।
5. कार्य शुरू होने के दो वर्षों के भीतर भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जाना चाहिए। निर्धारित समय-सीमा के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूरा न होने की स्थिति में, लिखित आवेदन करके छावनी परिषद से नयी स्वीकृति प्राप्त किए बिना इसे जारी नहीं किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाए कि परिषद के द्वारा किसी भी मामले में दो बार से अधिक विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. निर्माण कार्य प्लिंथ स्तर तक होने के पश्चात इसकी सूचना कार्यालय को दी जाएगी और तदोपरांत इस कार्यालय के सहायक अभियन्ता (सड़क एवं भवन) उसकी जाँच करेंगे। इसके बाद ही आपको आगे निर्माण कार्य की अनुमति दी जाएगी। यदि आप इस कार्यालय को सूचित किए बिना या प्लिंथ पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना प्लिंथ स्तर से ऊपर निर्माण करते हैं तो आपके द्वारा किए गए निर्माण कार्य को अनाधिकृत माना जाएगा। प्लिंथ स्तर के निर्माण में और स्वीकृत भवन नक्शे में किसी भी प्रकार का विचलन / अतिक्रमण होने पर, स्वीकृति के रद्द होने का जोखिम उठाना होगा, इसे ध्यान में ले।

7. निर्माण / पुनःनिर्माण की पूर्ति होने के 30 दिनों के अन्दर आपको छावनी अधिनियम 2006, की धारा 242 के तहत छावनी परिषद / मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित रूप में सूचना देने की आवश्यकता है और परिषद को सूचना प्राप्त होने के पश्चात अधिकृत अधिकारी द्वारा भवन की जाँच की जाएगी एवं सुनिश्चित किया जाएगा कि परिषद / मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा स्वीकृत अनुसार भवन का निर्माण कार्य किया गया है।

8. आपको विषय परिसर में 04 पेड़ लगाना होगा, जिसकी देखभाल आपके द्वारा की जायेगी एवं वह स्वीकृति का एक भाग होगा और उपरोक्त वर्णित अनुसार विभिन्न स्तरों में उसकी जाँच भी की जाएगी। यदि इस कार्यालय द्वारा जाँच के दौरान परिसर के अंतर्गत कथित संख्या में बड़े हुए पेड़ पाए गए तो दो वर्ष की अवधि के पश्चात पेड़ हेतु जमा की गई राशि वापस की जाएगी।

9. उपरोक्त पैरा 7 के अनुसार, भवन निर्माण पूर्ण होने के 30 दिनों के अन्दर आपको इसकी जानकारी इस कार्यालय को देनी होगी, ऐसा न करने की स्थिति में भवन पर कर स्वीकृत अवधि समाप्त होने के बाद से लगायी जाएगी, कृपया इसे ध्यान में ले।

10. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82 के तहत सूचना के अनुसार, उपरोक्त पैरा (2) में उल्लिखित छावनी परिषद संकल्प के माध्यम से छावनी परिषद द्वारा आपको दिए गए स्वीकृति एवं इस पत्र के द्वारा आपको दिए गए भवन नक्शे के अनुसरण में, आपको उक्त भवन के निर्माण / पुनःनिर्माण पूर्ण होने की तारीख एवं उक्त भवन पर कब्ज़ा किए जाने की तारीख की सूचना इस कार्यालय को देना आवश्यक है।

11. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82(1) के तहत भवन के पूर्ण होने या भवन पर कब्ज़ा करने की तारीख, जो भी पहले हो, से 30 दिनों के अन्दर आपको मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य है, विफल होने पर छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82(2) के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

12. आपको संशोधित विकास शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि लगाया जाता है।

13. भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात, आवेदक को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 246 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी से पूर्ति प्रमाणपत्र करना होगा। पूर्ति प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, जलसंबंधन और विद्युतीय संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा, कृपया इसे ध्यान में ले।

14. अनुमोदित भवन नक्शे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण पश्चात आपको उचित पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। पूर्ति प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात ही भवन पर कब्ज़ा किया जाएगा। छावनी अधिनियम, 2006 के तहत वर्तमान उपविधियाँ / निर्णय अनुसार उचित नियम / प्रक्रियाओं का पालन न करने पर आवेदक को जैसा लागू हो, जुर्माना देना होगा।

15. यदि उक्त सम्पत्ति से सम्बंधित कोई विवाद चल रहा है या विचाराधीन है, यदि भविष्य में उक्त सम्पत्ति से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका जिम्मेदार स्वयं आवेदक होगा। उक्त हेतु यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगी और कथित भवन नक्शा रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगी।

16. आवेदक के द्वारा स्थल नक्शा में दर्शाये अनुसार आंतरिक सड़क, पथदीप, पानी कि पाइपलाइन, भूमिगत नालियाँ, कचरा पेटी आदि का प्रावधान शेष 30% निर्माण पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले करना होगा तथा इस कार्य के लिए शपथ पत्र देना आवश्यक है।

17. आपको अचल सम्पति नियामक अधिनियम (रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट - आर.ई.आर.ए.) में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का पालन करना होगा, यदि लागू हो।

18. आपको स्वीकृत निर्माण स्थल पर धातु का एक बोर्ड लगाना होगा जिसपर मालिक का नाम, सर्वे संख्या, प्लॉट संख्या, शिवर, छावनी परिषद संकल्प संख्या, स्वीकृति की तारीख और स्वीकृति की वैध अवधि आदि स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। धातु के बोर्ड पर ऐसा लिखा होना चाहिए जो 50 फीट की दूरी से भी नग्न (खुली) आँखों द्वारा पढ़ा जा सके।

भवदीय। Yours faithfully,



(यू व्ही गोरवाडकर)
प्रशासनिक एवं जनसंपर्क अधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
देवलाली छावनी परिषद के लिए

(UV GORWADKAR)
Administrative Officer & PRO,
For Chief Executive Officer
Deolali Cantonment Board

संलग्न: विधिवत अनुमोदित एवं मुहर लगी हुई
स्वीकृत नक्शे (ब्लू प्रिंट) की प्रति

इसकी प्रति: जल पूर्ति विभाग।
छावनी बोर्ड, देवलाली

: उचित कार्रवाई हेतु